



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-235/ 2025

मो० रहबर	बनाम	मुसीबत अली आदि।
वाद की प्रकृति	स्थायी निषेधाज्ञा	
वाद का मूल्यांकन	1000/-रुपये	
अधिवक्ता का नाम	श्री राजाराम नाग	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	04.07.2025	

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम नाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-07.08.2025 को पेश हो।

( रोहित पुरी )

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP3474

**निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2**

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित भूमि (कथित अंश गाटा संख्या-301) जिसकी चौहद्दी पूरब-गाटा संख्या-301 प्रतिवादीगण, पश्चिम-खेत जुल्फकार, उत्तर-सड़क, दक्षिण-खेत गाटा संख्या-300 वादी स्थित ग्राम सिरकुंडा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर कब्जा करने व उत्तरी अंश सड़क साइड की तरफ नीव खुदवाने व निर्माण कार्य करने से एवं वादी के शांतिपूर्ण स्वामित्व व प्रयोजन में किसी तरह से हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9ग1 से एक किता उद्धरण खतौनी गाटा संख्या-300 स्थित ग्राम सिरकुंडा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1, एक किता उद्धरण खसरा गाटा संख्या-300 कागज संख्या-11ग1 एवं पृथक् से एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-12ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-07.08.2025 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-07.08.2025 को पेश हो।

दिनांक:04.07.2025

( रोहित पुरी )

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP3474

.....(P.T.O)

## निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये अधिवक्ता कमिश्नर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अधिवक्ता कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ता कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार अधिवक्ता कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करें।

दिनांक:-04.07.2025

( रोहित पुरी )  
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।  
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य  
(स्टेनो)